भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 161
उत्तर देने की तारीख 25 नवंबर, 2024
सोमवार, 4 अग्रहायण 1946 (शक)

उद्यमशीलता को बढ़ावा देना

161. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि वह एक ऐसी संस्कृति का सृजन करके उद्यमशीलता को बढ़ावा दे सकती है, जो इसके महत्व को समझती है और इसका समर्थन करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह कार्य जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से और उद्यमियों के योगदान को मान्यता देकर और उनका उत्सव मनाकर किया जा सकता है, प्रस्तावित की गई पहलों का ब्योरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) भारत सरकार इस दृष्टिकोण से सहमत है कि वह उद्यमशीलता को महत्व देने वाली और उसका समर्थन करने वाली संस्कृति सृजित करके उसे बढ़ावा दे सकती है। सरकार ने उद्यमशीलता शिक्षा को बढ़ावा देकर, लक्षित प्रशिक्षण प्रदान करके, समावेशिता की हिमायत करके और उद्यमशीलता नेटवर्क तक निर्बाध पहुंच की सुविधा प्रदान करके उद्यमशीलता संस्कृति को संवर्धित करने के लिए विभिन्न पहल शुरू की हैं।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) अपने स्वायत्त संस्थानों, अर्थात् राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों में उद्यमशीलता विकास को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। एमएसडीई ने उद्यमशीलता की मानसिकता, क्षमताओं का निर्माण करने के लिए सहयोगों के माध्यम से उद्यमशीलता इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में विभिन्न पहल की हैं।

राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता नीति 2015 के अनुसार, उद्यमशीलता नीति रूपरेखा को संस्कृति, वित्त, विशेषज्ञता, बुनियादी ढांचे, कौशल और व्यापार अनुकूल विनियमों का एक सक्षम इकोसिस्टम बनाने के लिए विकसित किया गया है। सरकार उद्यमशीलता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी), उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) और उद्यमशीलता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) के माध्यम से जन जागरूकता पैदा कर रही है। इन कार्यक्रमों ने डिजिटल मार्केटिंग, वित्तीय/ऋण और बाजार लिंकेज और उद्योग संपर्क जैसे सहयोगों के माध्यम से प्रतिभागियों के उद्यमशीलता कौशल को बढ़ाया है।

इसके अलावा, उद्यमियों की उपलब्धियों और योगदान का जश्न मनाने के लिए, उद्यमियों की सफलता की कहानियों को विभिन्न इन-हाउस प्रकाशनों में प्रलेखित और प्रकाशित किया जाता है और निस्बड, एमएसडीई द्वारा यूट्यूब पर आयोजित "पीएम-उद्यमी वार्ता" जैसी सोशल मीडिया पहलों का उपयोग उद्यमियों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने और उनका जश्न मनाने के लिए किया जा रहा है।

उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एमएसडीई द्वारा की गई पहलों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। इसके अलावा, इन पहलों के अलावा, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। कुछ प्रमुख पहलों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

<u>अनुबंध-I</u>

दिनांक 25.11.2024 को पूछे जाने वाले "उद्यमशीलता को बढ़ावा देने" के संबंध में लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 161 से संबंधित

उद्यमशीलता की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा की गई पहलों का विवरण

1. **पीएम स्वनिधि लाभार्थियों के लिए प्रायोगिक आधार पर राष्ट्रीय उद्यमशीलता विकास परियोजना - एमएसडीई ने प्रायोगिक परियोजना-** राष्ट्रीय उद्यमशीलता विकास परियोजना के माध्यम से पीएम-स्वनिधि लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ सहयोग किया है। इस परियोजना को निस्बड और आईआईई द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और इसमें एक सप्ताह का कक्षा कार्यक्रम और 21 सप्ताह का मार्गदर्शन और सहायता शामिल है। फरवरी 2024 से शुरू हुई इस परियोजना में पीएम स्वनिधि के 2050 लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है, जिसमें 40% से अधिक भागीदारी महिलाओं की होगी। इस परियोजना को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत एक विशेष परियोजना के रूप में वित्त पोषित किया जा रहा है।

2. **प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन)** - एमएसडीई अपने स्वायत्त संस्थान एनआईईएसबीयूडी और आईआईई के माध्यम से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के उत्थान के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय की योजना प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के कौशल और उद्यमशीलता घटक को लागू कर रहा है। यह परियोजना देश भर के 18 राज्यों में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है, जिसके तहत ट्राइफेड द्वारा कुल 500 वीडीवीके स्थापित किए जाने हैं।

3. **उचित मूल्य की दुकान के मालिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम** - एमएसडीई ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सहयोग से उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) के मालिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम की एक परियोजना शुरू की है। यह कार्यक्रम अपने पहले चरण में पूरे भारत में 3000 एफपीएस मालिकों को कवर करेगा। इस कार्यक्रम को एनआईईएसबीयूडी द्वारा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सहयोग से डिजाइन किया गया है ताकि एफपीएस मालिकों को खुदरा उद्यमियों द्वारा अपनाई जा रही समकालीन प्रथाओं के अनुरूप अपने व्यवसाय चलाने में सक्षम बनाया जा सके। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को उद्यमिता, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता और सरकारी सहायता इकोसिस्टम के विभिन्न पहलुओं के गहन ज्ञान से लैस करना है। परियोजना के कौशल घटक को पीएमकेवीवाई के तहत एक विशेष परियोजना के रूप में वित्त पोषित किया जा रहा है।

4. पूर्वोत्तर क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में उद्यमशीलता विकास केंद्र और इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना, विकास और प्रबंधन - इस परियोजना के तहत, आईआईई पूर्वोत्तर क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में उद्यमशीलता विकास केंद्र और इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना, विकास और प्रबंधन करेगा। परियोजना की प्रमुख विशेषताओं में पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में 30 ईडीसी और चार आईसी की स्थापना, विकास और प्रबंधन, 30 लक्षित जिलों के 600 सलाहकारों की पहचान और प्रशिक्षण, 30 लक्षित जिलों के 3600 युवाओं की पहचान और प्रशिक्षण, चार आईसी में 100 व्यावसायिक विचारों को इनक्यूबेट करना, अभिसरण के माध्यम से 30 ईडीसी में 900 व्यावसायिक विचारों का समर्थन करना और चार आईसी में शीर्ष 50 इनक्यूबेट के लिए सीड फंड देना शामिल है।

5. सौर उद्यमशीलता पर उद्यमशीलता आधारित कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) - एनआईईएसबीयूडी पीएम - सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से एमएसडीई द्वारा समर्थित सौर उद्यमशीलता पर उद्यमशीलता आधारित कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) के लिए एक परियोजना को लागू कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सौर पीवी सिस्टम स्थापित करने और रखरखाव करने में सक्षम कुशल उद्यमियों को तैयार करना है।

6. संकल्प स्कीम के अंतर्गत क्षमता-निर्माण, इनक्यूबेशन सहायता, सलाह और सहायता के माध्यम से उद्यमशीलता के माहौल को सुदृढ़ करना - कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) कार्यक्रम के समर्थन से निस्बड के माध्यम से एमएसडीई समाज के विभिन्न हाशिए के वर्गों के उद्यमशीलता इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक परियोजना को लागू कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षमता निर्माण, इनक्यूबेशन सहायता, सलाह और सहायता के माध्यम से विभिन्न लक्षित समूहों के बीच उद्यमशीलता की भावना का निर्माण, पोषण और संवर्धन करना है।

7. उद्यम दिशा - मेंटर प्लेटफॉर्म - एमएसडीई ने एनआईईएसबीयूडी के माध्यम से विविध और दूरदराज के स्थानों से इच्छुक और मौजूदा उद्यमियों को मार्गदर्शन देने के लिए एक वेब-आधारित मेंटर प्लेटफॉर्म विकसित किया है। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग मेंटर और मेंटी, खरीदार और विक्रेता, दानदाता और निवेशक आदि को जोड़ने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है और यह उद्यमशीलता, सरकारी योजनाओं, वित्तीय संस्थानों, निवेशकों, दानदाताओं आदि के बारे में जानकारी के भंडार के रूप में कार्य करेगा।

8. उद्यमशीलता पर राष्ट्रीय स्तर की सामग्री - निस्बड के माध्यम से एमएसडीई ने उद्यमशीलता शिक्षा पर एक राष्ट्रीय स्तर की सामग्री विकसित की है जिसका उपयोग सरकार द्वारा उनके विभिन्न उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा ताकि उद्यमशीलता विकास शिक्षा में एकरूपता और मानकीकरण लाया जा सके और मापने योग्य सीखने के परिणाम प्राप्त हो सकें।

<u>अनुबंध-II</u>

उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहल

1. **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई)** - एमएसएमई मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से, गैर-कृषि क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने में उद्यमियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को उनके घर के दरवाजे पर रोजगार के अवसर प्रदान करना है। पीएमईजीपी एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के साथ सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों की सहायता करती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं, पूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, ट्रांस-जेंडर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों जैसे विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए, मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है। विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये है। साथ ही, महिलाओं सहित विशेष श्रेणी के तहत लाभार्थियों का स्वयं का योगदान 05% और सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 10% है। 2018-19 से, मौजूदा पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा उद्यमों को भी उन्नयन और विस्तार के लिए दूसरे ऋण के साथ पिछले अच्छे प्रदर्शन के आधार पर समर्थन दिया जा रहा है। सभी श्रेणियों के लिए द्वितीय ऋण पर पात्र सब्सिडी परियोजना लागत का 15% (पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों के लिए 20%) है।

2. **ग्रामीण विकास मंत्रालय** - ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) योजना, ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंक द्वारा संचालित और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित पहल है। विभिन्न जिलों में स्थापित, आरएसईटीआई प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करते हैं जो व्यक्तियों को छोटे व्यवसाय शुरू करने और प्रबंधित करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करते हैं। सरकार ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति भी करती है। इसके अलावा, आरएसईटीआई उद्यमियों को ऋण तक आसान पहुँच के लिए बैंकों से जोड़कर वित्तीय सहायता तक पहुँच की सुविधा भी प्रदान करता है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों, विशेषकर महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने में मदद करती है, जिससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने और कौशल विकास का समर्थन करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का लक्ष्य देश भर के हर अछूते जिले में आरएसईटीआई स्थापित करना है।

3. **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** - इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके आईसीटी स्टार्ट-अप्स का सहयोग करने में लगे इनक्यूबेटरों को वित्तीय और तकनीकी सहायता के माध्यम से तकनीकी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2019 में "प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन और उद्यमियों का विकास (टीआईडीई 2.0)" नामक एक योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर राष्ट्रीय

चिंता के सात विषयगत क्षेत्रों में टेक-स्टार्ट-अप को व्यापक सहायता प्रदान करना है। समर्थित विषयगत क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन (डिजिटल भुगतान सहित), बुनियादी ढांचा और परिवहन और पर्यावरण, और स्वच्छ तकनीक हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों और प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठनों में इनक्यूबेशन गतिविधियों को बढ़ावा देने के व्यापक उद्देश्य के साथ इस योजना को तीन स्तरीय संरचना के माध्यम से 51 इनक्यूबेटरों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

4. **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)** - नवाचार के पोषण और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के इरादे से सरकार ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट-अप इंडिया पहल शुरू की। जीएसआर अधिसूचना 127 (ई) दिनांक 19 फरवरी 2019 के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार, संस्थाओं को डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्ट-अप इंडिया पहल के तहत 'स्टार्ट-अप' के रूप में मान्यता दी गई है। विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, सरकार द्वारा स्टार्ट-अप इंडिया पहल के तहत विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं। पहल के तहत सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदम समावेशी हैं और सभी आयु समूहों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी), शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जाते हैं। मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप ने 15.5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं। देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप हैं। देश भर में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:

i **स्टार्ट-अप इंडिया एक्शन प्लान:** स्टार्ट-अप इंडिया के लिए एक एक्शन प्लान का अनावरण 16 जनवरी 2016 को किया गया था। एक्शन प्लान में "सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग", "वित्त पोषण सहायता और प्रोत्साहन" और "उद्योग-अकादमिक साझेदारी और इनक्यूबेशन" जैसे क्षेत्रों में फैले 19 एक्शन आइटम शामिल हैं। एक्शन प्लान ने देश में एक जीवंत स्टार्ट-अप इकोसिस्टम बनाने के लिए परिकल्पित सरकारी समर्थन, योजनाओं और प्रोत्साहनों की नींव रखी।

ii **स्टार्ट-अप इंडिया: आगे का रास्ता:** स्टार्ट-अप इंडिया: स्टार्ट-अप इंडिया के 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आगे का रास्ता का अनावरण 16 जनवरी 2021 को किया गया, जिसमें स्टार्ट-अप के लिए कारोबार करने में आसानी को बढ़ावा देने, विभिन्न सुधारों को क्रियान्वित करने में प्रौद्योगिकी की अधिक भूमिका, हितधारकों की क्षमता निर्माण और एक डिजिटल आत्मनिर्भर भारत को सक्षम करने के लिए कार्रवाई योग्य योजनाएं शामिल हैं।

iii. **स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफ़एस):** इस स्तर पर आवश्यक पूंजी अक्सर अच्छे व्यावसायिक विचारों वाले स्टार्ट-अप के लिए एक निर्णायक स्थिति प्रस्तुत करती है। इस योजना का उद्देश्य अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिए स्टार्ट-अप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 2021-22 से शुरू होने वाली 4 साल की अवधि के लिए एसआईएसएफ़एस योजना के तहत 945 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

iv. स्टार्ट-अप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफ़एफ़एस) योजना: सरकार ने स्टार्ट-अप्स की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ एफ़एफ़एस की स्थापना की है। डीपीआईआईटी निगरानी एजेंसी है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) एफ़एफ़एस के लिए संचालन एजेंसी है। योजना की प्रगति और धन की उपलब्धता के आधार पर 14वें और 15वें वित्त आयोग के चक्रों में 10,000 करोड़ रुपये की कुल राशि उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। इसने न केवल शुरुआती चरण, बीज चरण और विकास चरण में स्टार्ट-अप के लिए पूंजी उपलब्ध कराई है, बल्कि घरेलू पूंजी जुटाने, विदेशी पूंजी पर निर्भरता कम करने और घरेलू और नए उद्यम पूंजी कोष को प्रोत्साहित करने के मामले में उत्प्रेरक की भूमिका भी निभाई है।

V.स्टार्ट-अप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस): सरकार ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफ़सी) और सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोषों के तहत वेंचर डेट फंड (वीडीएफ़) द्वारा डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप को दिए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए स्टार्ट-अप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की स्थापना की है। सीजीएसएस का उद्देश्य पात्र उधारकर्ताओं अर्थात डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप को वित्तपोषित करने के लिए सदस्य संस्थानों (एमआई) द्वारा दिए गए ऋणों के विरुद्ध एक निर्दिष्ट सीमा तक क्रेडिट गारंटी प्रदान करना है।

vi. नियामक सुधार: सरकार द्वारा 2016 से अब तक 55 से अधिक नियामक सुधार किए गए हैं, ताकि कारोबार को आसान बनाया जा सके, पूंजी जुटाने में आसानी हो और स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के लिए अनुपालन बोझ कम किया जा सके।

vii. खरीद में आसानी: खरीद को आसान बनाने के लिए, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को गुणवत्ता और तकनीकी विनिर्देशों को पूरा करने के अधीन सभी डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप के लिए सार्वजनिक खरीद में पूर्व टर्नओवर और पूर्व अनुभव की शर्तों में ढील देने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) स्टार्ट-अप से सरकार द्वारा उत्पादों और सेवाओं की खरीद को भी सुविधाजनक बनाता है और बढ़ावा देता है।

viii. श्रम और पर्यावरण कानूनों के तहत स्व-प्रमाणन: स्टार्ट-अप्स को निगमन की तारीख से 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए 9 श्रम और 3 पर्यावरण कानूनों के तहत अपने अनुपालन को स्व-प्रमाणित करने की अनुमति है।

ix 3 वर्षों के लिए आयकर छूट: 1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद निगमित स्टार्ट-अप आयकर छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप जिन्हें अंतर-मंत्रालयी बोर्ड प्रमाणपत्र दिया जाता है, उन्हें निगमन के बाद से 10 वर्षों में से लगातार 3 वर्षों की अवधि के लिए आयकर से छूट दी जाती है।

X स्टार्ट-अप्स के लिए तेजी से निकासी: सरकार ने स्टार्ट-अप्स को 'फास्ट ट्रैक फर्म' के रूप में अधिसूचित किया है, जिससे उन्हें 90 दिनों के भीतर परिचालन बंद करने में मदद मिलेगी, जबकि अन्य कंपनियों के लिए यह समय सीमा 180 दिन है।

Xi. अधिनियम (2019) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (VII) (बी) के प्रयोजन के लिए छूट: डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप आयकर अधिनियम की धारा 56(2) (VII बी) के प्रावधानों से छूट के लिए पात्र है।

Xii. बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए सहायता: स्टार्ट-अप्स को पेटेंट आवेदन की त्वरित जांच और निपटान के लिए पात्र माना जाता है। सरकार ने स्टार्ट-अप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण (एसआईपीपी) शुरू किया है, जो स्टार्ट-अप्स को केवल वैधानिक शुल्क का भुगतान करके उचित आईपी कार्यालयों में पंजीकृत सुविधा प्रदाताओं के माध्यम से पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के लिए आवेदन दाखिल करने की सुविधा प्रदान करता है। इस योजना के तहत सुविधा प्रदाता विभिन्न आईपीआर पर सामान्य सलाह देने और अन्य देशों में आईपीआर की सुरक्षा और संवर्धन के बारे में जानकारी देने के लिए जिम्मेदार हैं। सरकार किसी भी संख्या में पेटेंट, ट्रेडमार्क या डिजाइन के लिए सुविधा प्रदाताओं की पूरी फीस वहन करती है और स्टार्ट-अप केवल देय वैधानिक शुल्क का खर्च वहन करते हैं। स्टार्ट-अप्स को अन्य कंपनियों की तुलना में पेटेंट दाखिल करने में 80% छूट और ट्रेडमार्क भरने में 50% छूट प्रदान की जाती है।

Xiii. स्टार्ट-अप इंडिया हब: सरकार ने 19 जून 2017 को स्टार्ट-अप इंडिया ऑनलाइन हब आरंभ किया जो भारत में उद्यमशीलता इकोसिस्टम के सभी हितधारकों के लिए एक-दूसरे को खोजने, कनेक्ट करने और एक-दूसरे के साथ जुड़ने के लिए अपनी तरह का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन हब स्टार्ट-अप, निवेशक, निधि, मेंटर, शैक्षणिक संस्थान, इनक्यूबेटर, एक्सेलरेटर, कॉरपोरेट, सरकारी निकाय और बहुत कुछ होस्ट करता है।

XiV. भारतीय स्टार्ट-अप्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँच: स्टार्ट-अप इंडिया पहल के तहत प्रमुख उद्देश्यों में से एक है विभिन्न जुड़ाव मॉडल के माध्यम से भारतीय स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को वैश्विक स्टार्ट-अप इकोसिस्टम से जोड़ने में मदद करना। यह अंतरराष्ट्रीय सरकारों के बीच भागीदारी, अंतरराष्ट्रीय मंचों में भागीदारी और वैश्विक कार्यक्रमों की मेजबानी के माध्यम से किया गया है। स्टार्ट-अप इंडिया ने लगभग 20 देशों के साथ संपर्क स्थापित किया है जो भागीदार देशों के स्टार्ट-अप्स के लिए एक आसान लैंडिंग प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है और क्रॉस सहयोग को बढ़ावा देने में सहायता करता है।

XV. स्टार्ट-अप इंडिया शोकेस: स्टार्ट-अप इंडिया शोकेस देश के सबसे होनहार स्टार्ट-अप्स के लिए एक ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है, जिसे वर्चुअल प्रोफाइल के रूप में प्रदर्शित स्टार्ट-अप्स के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से चुना जाता है। इस प्लेटफॉर्म पर दिखाए गए स्टार्ट-अप्स अपने क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ बनकर उभरे हैं। ये नवाचार विभिन्न अत्याधुनिक क्षेत्रों जैसे कि फिनटेक, एंटरप्राइजटेक, सोशल इम्पैक्ट, हेल्थटेक, एडटेक आदि में फैले हुए हैं। ये स्टार्ट-अप महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और अपने-अपने क्षेत्रों में असाधारण नवाचार दिखा रहे हैं। इकोसिस्टम के हितधारकों ने इन स्टार्ट-अप्स का पोषण और समर्थन किया है, जिससे इस प्लेटफॉर्म पर उनकी उपस्थिति को मान्यता मिली है।

xvi. राष्ट्रीय स्टार्ट-अप सलाहकार परिषद: सरकार ने जनवरी 2020 में राष्ट्रीय स्टार्ट-अप सलाहकार परिषद के गठन की अधिसूचना जारी की, ताकि देश में नवाचार और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के लिए आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह दी जा सके, ताकि सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें। पदेन सदस्यों के अलावा, परिषद में कई गैर-आधिकारिक सदस्य भी हैं, जो स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

xvii. राष्ट्रीय स्टार्ट-अप पुरस्कार : राष्ट्रीय स्टार्ट-अप पुरस्कार ऐसे उत्कृष्ट स्टार्ट-अप और इकोसिस्टम को मान्यता देने और पुरस्कृत करने की एक पहल है जो रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च क्षमता वाले अभिनव उत्पाद या समाधान और स्केलेबल उद्यम बना रहे हैं, जो मापनीय सामाजिक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। सभी फाइनलिस्ट को विभिन्न ट्रैक जैसे कि निवेशक संपर्क, मेंटरशिप, कॉर्पोरेट संपर्क, सरकारी संपर्क, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पहुंच, विनियामक सहायता, दूरदर्शन पर स्टार्ट-अप चैंपियंस और स्टार्ट-अप इंडिया शोकेस आदि के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

xviii. राज्यों का स्टार्ट-अप रैंकिंग ढांचा (एसआरएफ): राज्यों का स्टार्ट-अप रैंकिंग ढांचा प्रतिस्पर्धी संघवाद की ताकत का दोहन करने और देश में एक समृद्ध स्टार्ट-अप इकोसिस्टम बनाने के लिए एक अनूठी पहल है। रैंकिंग अभ्यास का मुख्य उद्देश्य राज्यों को अच्छी प्रथाओं की पहचान करने, सीखने और बदलने में सुविधा प्रदान करना, स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए राज्यों द्वारा नीतिगत सहयोग को उजागर करना और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।

xiv. दूरदर्शन पर स्टार्ट-अप चैंपियंस: दूरदर्शन पर स्टार्ट-अप चैंपियंस कार्यक्रम एक घंटे का साप्ताहिक कार्यक्रम है जिसमें पुरस्कार विजेता/राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप की कहानियों को शामिल किया जाता है। इसे दूरदर्शन नेटवर्क चैनलों पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रसारित किया जाता है।

xv. स्टार्ट-अप इंडिया इनोवेशन सप्ताह: सरकार राष्ट्रीय स्टार्ट-अप दिवस यानी 16 जनवरी के आसपास स्टार्ट-अप इंडिया इनोवेशन सप्ताह का आयोजन करती है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य उद्यमशीलता का जश्न मनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रमुख स्टार्ट-अप, उद्यमियों, निवेशकों, इनक्यूबेटरों, फंडिंग संस्थाओं, बैंकों, नीति निर्माताओं और अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को एक साथ लाना है।

xvi. पीएमकेवीवाई: एएससीईएनडी (स्टार्ट-अप क्षमता और उद्यमशीलता अभियान में तेजी) के तहत, सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए स्टार्ट-अप और उद्यमशीलता पर संवेदीकरण कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिसका उद्देश्य उद्यमशीलता के प्रमुख पहलुओं पर ज्ञान को बढ़ाना और बढ़ाना तथा इन राज्यों में एक मजबूत स्टार्ट-अप इकोसिस्टम बनाने की दिशा में प्रयास जारी रखना था।

xxii. स्टार्ट-अप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल को स्टार्ट-अप इंडिया पहल के तहत सिडबी के साथ मिलकर विकसित किया गया है, जो एक मध्यस्थ मंच के रूप में काम करता है जो स्टार्ट-अप और निवेशकों को जोड़ता है ताकि विभिन्न उद्योगों, कार्यों, चरणों, क्षेत्रों और पृष्ठभूमि के उद्यमियों को पूंजी जुटाने में मदद मिल सके। पोर्टल को विशेष रूप से देश में कहीं भी स्थित शुरुआती चरण के स्टार्ट-अप को प्रमुख निवेशकों/उद्यम पूंजी कोषों के सामने खुद को प्रदर्शित करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है।

xxiii. राष्ट्रीय मेंटरशिप पोर्टल (एमएएआरजी): देश के हर हिस्से में स्टार्ट-अप्स के लिए मेंटरशिप तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए, स्टार्ट-अप इंडिया पहल के तहत मेंटरशिप, सलाह, सहायता, लचीलापन और विकास (एमएएआरजी) कार्यक्रम विकसित और आरंभ किया गया है।

5. **वित्तीय सेवा प्रभाग** - प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) 08.04.2015 को सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई), यानी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) द्वारा 10 लाख रुपये तक के जमानत मुक्त ऋण का विस्तार करने के लिए शुरू की गई थी। कोई भी व्यक्ति, जो अन्यथा ऋण लेने के लिए पात्र है और उसके पास छोटे व्यवसाय उद्यम के लिए व्यवसाय योजना है, वह तीन ऋण श्रेणियों में कृषि से जुड़ी गतिविधियों सहित विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्रों में आय सृजन गतिविधियों के लिए योजना के तहत ऋण ले सकता है। शिशु (50,000 रुपए तक के ऋण), किशोर (50,000/- रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक के ऋण), तरुण (5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक के ऋण) और तरुण प्लस (10 लाख रुपये से अधिक और 20 लाख रुपये तक के ऋण उन उद्यमियों के लिए जिन्होंने 24.10.2024 से "तरुण" श्रेणी के तहत पिछले ऋण का लाभ उठाया है और सफलतापूर्वक चुकाया है)।

दिनांक 05.04.2016 को शुरू की गई स्टैंड-अप इंडिया (एसयूआई) योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इस स्कीम का उद्देश्य कृषि से संबद्ध गतिविधियों सहित विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रत्येक बैंक शाखा से कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपए के बीच मूल्य के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से ऋण की सुविधा प्रदान करना है।

*****